कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शाजापुर

क्रमांक /व.ले.लि./ग्रायांसे/11 — शाजापुर, दिनांक 26/04/2011

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक पीबी/01 (10–11)

म0प्र0 के राज्यपाल की ओर से निम्नांकित कार्य हेतु मोहर बंद निविदायें फार्म ''ए'' पर ग्रामीण यात्रिकी सेवा/राज्य अथवा केन्द्र के कार्यविभागों/उपक्रमों/संस्थाओं/प्राधिकरण में समतुल्य/सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से मुद्रांक शुल्क राशि से निर्मित होने वाले भवन विहीन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु सिविल कंस्ट्रक्शन, सेनेटरी फिटिंग एवं वाटर सप्लाई कार्य हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दि0 12.04.2010 से प्रभावशील दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) एवं विद्युतीकरण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की दिनांक 01.04.08 से लागू दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) के आधार पर कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शाजापुर में दिनांक 12/05/2011 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 11/05/2011 तक कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शाजापुर के कार्यालय से कार्यालयीन समय तक प्राप्त किए जा सकते हैं।

क्र.	जिला	पैकेज क्र.	पैकेजों में सम्मिलित भवनो की संख्या	निविदा लागत (पी.ए.सी) रू. लाख में	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि वर्षाकाल सहित	ठेकेदार की श्रेणी	निविदा का आमंत्रण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	शाजापुर	PBSHAJAPUR19020	2	17.97	35903	2000	12 माह	अ–2 एवं उच्च अथवा समतुल्य अथवा (*)	तृतीय
2	शाजापुर	PBSHAJAPUR19020A	2	17.97	35903	2000	12 माह	–तदैव–	तृतीय
3	शाजापुर	PBSHAJAPUR19021	2	17.97	35903	2000	12 माह	–तदैव–	तृतीय
4	शाजापुर	PBSHAJAPUR19021A	2	17.97	35903	2000	12 माह	–तदैव–	तृतीय
5	शाजापुर	PBSHAJAPUR19022	2	17.97	35903	2000	12 माह	–तदैव–	तृतीय
6	शाजापुर	PBSHAJAPUR19022A	2	17.97	35903	2000	12 माह	–तदैव–	तृतीय
7	शाजापुर	PBSHAJAPUR19023	2	17.97	35903	2000	12 माह	–तदैव–	तृतीय
8	शाजापुर	PBSHAJAPUR19023A	2	17.97	35903	2000	12 माह	–तदैव–	तृतीय
dqy ;ksx				**143.76**					

(रू.एक करोड़ तिरालिस लाख छयोत्तर हजार केवल)

निरन्तर.../2

नोटः–

(1) म.प्र. लो.नि.वि. के पत्र क्र. एफ 17–1/बी/19/2010/पार्ट–चार भोपाल, दिनांक 29.03.2011 एवं दिनांक 8.03.2011 में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार श्रेणी ''स'' में पंजीयन।

(2) म.प्र. लो.नि.वि. के पत्र क्र. एफ 17–1/बी/19/2010/पार्ट–चार भोपाल, दिनांक 29.03.2011 एवं 08.03.2011 में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार निर्माण कार्य विभागों, अन्य शासकीय/अर्द्ध शासकीय/निगम एवं बोर्ड में पूर्व पंजीकृत फर्म/ठेकेदार का नवीन एकीकृत, पंजीयन व्यवस्था में व्यवस्थापन हेतु इस व्यवस्था के लागू होने के दिनांक से 03 माह का समय प्रदान किया जावेगा ताकि वे इस एकीकृत व्यवस्था में सम्मिलित हो सके।

(3) कार्य संबंधी विवरण एवं निविदा की शर्ते आदि संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री ग्रा0या0से0 के संभागीय कार्यालय में देखी जा सकती है। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना बेबसाईट http://nregs-mp.org पर भी प्रदर्शित है तथा निविदा प्रपत्र उपरोक्त वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है।

निविदा की सामान्य शर्ते :–

1. ऐसे ठेकेदार जिन्होंने ग्रामीण यात्रिकी सेवा/राज्य अथवा केन्द्र के कार्यविभागों/उपक्रमों/संस्थाओं/प्राधिकरण में गत तीन वर्षों में पैकेज की निविदा लागत (पी.ए.सी.) का एक तिहाई राशि का एक भवन कार्य सफलतापूर्वक संपादित किया हो, निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे। कार्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदार को अनुबंध से पूर्व ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में उपयुक्त श्रेणी में, निविदा स्वीकृति जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अन्दर, पंजीयन (पंजीकरण) कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
2. ठेकेदार द्वारा पंजीयन की मूल प्रति, फर्म/कंपनी के निर्माण तथा पार्टनरशिप डीड, मुख्तियारनामा/पावर ऑफ अटार्नी (यदि आवश्यक हो तो), निविदाकार का पेन नम्बर, टिन नम्बर की वैद्यता संबंधी दस्तावेज तथा फर्म में कार्यरत अभियंता आदि की जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. निविदाकर को किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेट नहीं होने से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता हेतु एवं शपथ पत्र 100 रू. के स्टॉम्प पर नोटरी करवाना आवश्यक होगा जो निविदा सूचना के पश्चात का होना चाहिए। शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न करना होगी।
4. निविदा क्रय करते समय पंजीयन की प्रतिलिपि एवं नवीन वैद्य सालवेंसी, वाणिज्य कर विभाग का चूकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही निविदा प्रपत्र विक्रय किये जावेंगे।
5. सशर्त, कटी–फटी अथवा ओव्हर राईटिंग लिखाई की निविदा मान्य नही की जावेगी। ठेकेदार कार्यस्थल का निरीक्षण निविदा प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के पूर्व कर लेवें।
6. निविदा मुहरबंद 03 लिफाफों में अलग–अलग देना होगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि, द्वितीय लिफाफा में तकनीकी प्रस्ताव (सत्यापित/नोटरी किये गये) जो निविदा आवेदन के साथ दिये हो तथा तीसरा लिफाफा में वित्तीय प्रस्ताव निर्धारित निविदा प्रपत्र में देना होगा। उपरोक्त तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद करके प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र **www.nregs-mp.org** या **www.mpinfo.org** बेवसाईट से

निरन्तर.../3

डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र को बेवसाईड से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा प्रपत्र की कीमत के समतुल्य राशि का किसी भी शिड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग संबंधित के नाम देय एवं स्थानीय शाखा में भुगतान योग्य हो, को एक अतिरिक्त चौथे लिफाफे में रखा जावेगा। लिफाफे के ऊपर निविदा प्रपत्र की कीमत एवं पैकेज क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित किया जावेगा। इसी प्रकार प्रथम लिफाफे के ऊपर अमानत राशि, द्वितीय लिफाफे के ऊपर तकनीकी प्रस्ताव एवं तृतीय लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव अंकित करना अनिवार्य होगा।

7. पूर्ण निविदा प्रस्ताव **दिनांक 12/05/2011 को अपरान्ह 3.00** बजे तक स्वीकार किये जावेगें तथा उसी दिन **अपरान्ह 3.30 बजे** प्रथमतः अमानत राशि के प्रस्ताव खोले जावेंगे। पात्र अमानत राशि दाता के तकनीकी प्रस्ताव **दिनांक 12/05/2011 को ही अपरान्ह 3.30 बजे** संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय (संबंधित जिलें) कार्यालय में खोले जावेगे।

8. ठेकेदार प्रदत्त निविदा के साथ अमानत राशि प्रस्तुत करें। पूर्व निविदाओं की राशि समायोजित नही की जावेगी। यह राशि शिड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से जमा फिक्स डिपॉजिट जो संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के पक्ष में देय हो तथा कार्यावधि के लिये जमा हो, मान्य की जावेगी।

9. तकनीकी प्रस्ताव उपयुक्त पाये जाने वाले निविदाकारों के वित्तीय प्रस्तावों को **दिनांक 16/05/2011 को 11.00 बजे** कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय (संबंधित जिलें) कार्यालय में खोला जावेगा।

10. निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

11. कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर अथवा किन्ही भी परिस्थितियों में मूल्य वृद्वि देय नही होगी।

12. अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व खनिज गौण संपदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग निविदा दस्तावेज मे उल्लेखित मेन्डेटरी टेस्ट सूची अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाने के उपरांत किया जावे।

14. निर्माण कार्य के स्पेसीफिकेशन में फेरबदल करने का अधिकार संबंधित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग को होगा।

15. विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा।

16. निविदा से संबंधित किसी भी वाद–विवाद पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

17. श्रम संविदा एक्ट के अतंर्गत जीवित लेबर लायसेन्स प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

निरन्तर.../4

18. कार्य करने के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।

19. संबंधित ठेकेदार का ऊर्जा विभाग/म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) भोपाल द्वारा जारी विद्युतीकरण कार्य का सक्षम श्रेणी का वैध पंजीयन होना अथवा विद्युतीकरण (बिजली) कार्य हेतु सक्षम श्रेणी के वैध पंजीयनधारी लायसेंसी का ठेकेदार से संबद्ध होना आवश्यक होगा। (तद्‌ाशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा)।

20. विशेष क्षैत्र विकास प्राधिकरण/वनक्षैत्र आदि में लागू नियमों के पालन का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

21. निर्माण से संबंधित संरचनात्मक (स्ट्रक्चरलर) आर.सी.सी. डिजाईन का अनुमोदन कार्य सम्पादन के पूर्व ठेकेदार द्वारा संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से कराया जाना होगा।

22. कार्य के प्राक्कलन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 12.04.2010 से लागू एवं निविदा सूचना दिनांक तक संशोधित एस.ओ.आर. पर बनाये गये है। यदि ठेकेदार की निविदा दरें इस कार्यों हेतु प्रचलित एस.ओ.आर. से असंतुलित अर्थात् एस.ओ.आर. से कम प्रतिशत पर प्राप्त होती हैं तो प्रचलित एस.ओ.आर. दर पर कार्य की लागत एवं ठेकेदार की दरों पर कार्य की लागत के अंतर की 25 प्रतिशत राशि अतिरिक्त सुरक्षा निधि के रूप में (जो बैंक गारंटी के रूप में संबंधित कार्यपालन यंत्री के पक्ष में देय होना चाहिये) कार्य पूर्णता तक जमा करानी होगी।

23. निविदाकारों के साथ **दिनांक 4/05/2011 को समय अपरान्ह 3:30 बजे** प्री–बिड मिटिंग संबंधित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिक सेवा के संभागीय कार्यालय में बैठक होगी, जिसमें निविदाकारों की जिज्ञासा/प्रश्न के संबंध में निर्णय लिये जावेंगे। इसी तारतम्य में विकास आयुक्त कार्यालय, बी–विंग द्वितीय तल विन्ध्याचल भवन, भोपाल में **दिनांक 7/05/2011 को अपरान्ह 3:30 बजे** प्री–बिड मिटिंग आयोजित की जावेगी।

24. निविदाकार या फर्म के द्वारा एक पैकेज की एक से ज्यादा निविदा प्रस्तुत नहीं की जावेगी। प्रत्येक पैकेज के लिये निविदाकार के द्वारा पृथक से निविदा प्रस्तुत की जावेगी।

25. एक या एक से अधिक फर्म, जिसमें कोई ठेकेदार पार्टनर अथवा प्रोप्राइटर हो, एक ही पैकेज के लिये निविदा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

26. पैकेजवार भवनों की संख्या, लागत, धरोहर राशि, निविदा प्रपत्र का मूल्य, ठेकेदार की श्रेणी एवं संबंधित कार्य का विवरण तथा निविदा की सामान्य शर्तें, विशेष शर्तें आदि संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यालय में एवं उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शाजापुर